(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4327–एक / 2012, विरूद्ध आदेश दिनांक 17–02–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन, संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 93 / निगरानी / 2009–10

.....

विक्रम सिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत
निवासी–हरनावदा, तहसील–टोंकखुर्द, जिला–देवास
(म0प्र0) ..... आवेदक

विरूद्ध

1– मांगीलाल पिता सवाईसिंह राजपूत
2– कमलाबाई विधवा मोहनसिंह राजपूत
3– दिलीपसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत
4– भगवतसिंह पिता मोहन सिंह राजपूत
5– दीपकुंवरबाई पति राधासिंह
समस्त–निवासीगण हरनावदा, तहसील–टोंकखुर्द, जिला–देवास
(म0प्र0)
6– म00प्र0 शासन द्वारा पटवारी ग्राम–हरनावदा,
तहसील–टोंकखुर्द, जिला–देवास
(म0प्र0) ..... अनावेदकगण

.....

श्री अखलाक कुरैशी एवं श्री ए0आर0 यादव अभिभाषक, आवेदक
श्री मिश्रीलाल चौधरी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/4/14 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन, संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक मांगीलाल पिता सवाईसिंह जाति राजपूत ग्राम निवासी हरनावदा तहसील टोंकखुर्द द्वारा म0प्र0 भू0–राजस्व संहि 1959 की धारा 115 एवं 116 के तहत इस आश्य का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । अनावेदक के नाम पर पटवारी हल्का नंबर 17 ग्राम हरनावदा में कृषि भूमि जिसका सर्वे नं0 416 रकबा 2.71 आरे स्थित है । उपरोक्त भूमि के पक्ष में सर्वे क्रमांक 415 स्थित है जो विक्रमसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत निवासी हरनावदा की भूमि स्वामी स्वत्व की है । बंदोबस्त के पूर्व अनावेदक का सर्वे नंबर 150/1 एवं रकबा 2.729 हैक्टर दर्ज था किन्तु बंदोबस्त के पश्चात अनावेदक का सर्वे नं0 416 कायम किया जाकर रकबा 2.71 अंकित किया गया । इस प्रकार बंदोबस्त के पश्चात अनावेदक की 0002 हैक्टर भूमि कम दर्ज कर दी गई। साथ ही नक्शे में खसरा नं0 150 में से बना सर्वे नं0 150/1 की आकृति भी कम कर दी गई । इस संबंध में तहसीलदार टोंकखुर्द द्वारा जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी टोंकखुर्द के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया । कलेक्टर द्वारा उक्त जांच प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में अधीक्षक भू–अभिलेख देवास से भी प्रतिवेदन चाहा गया जो प्रकरण में संलग्न है । कलेक्टर द्वारा उपरोक्त प्रकरण अपर कलेक्टर जिला देवास के न्यायालय में दिनांक 02.03.2009 को अंतरित किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 08.01.2010 से अनावेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया, एवं पटवारी अभिलेख एवं नक्शा आकृति में सुधार करने के आदेश तहसीलदार टोंकखुर्द को शर्तों के अधीन दिये गये । अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2010 से दुःखी एवं असंतुष्ट होकर आवेदक ने न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की । न्यायालय अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2010 विधि संगत एवं न्यायोचित मानकर स्थिर रखते हुये दिनांक 17.02.2012 से आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त कर दी गई । अपर आयुक्त उज्जैन द्वारा

पारित आदेश दिनांक 17.02.2012 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया कि म0प्र0भू0–राजस्व संहिता की धारा 115–116 का आवेदन कानून से चलने योग्य नहीं है इसका विचार न करते हुए जो आदेश पारित किया है वह अवैध है । अपर कलेक्टर द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया कि म0प्र0भू0–राजस्व संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत बन्दोबस्त के समय यदि क्षेत्रफल में कोई त्रुटी होती है तो उसको सुनने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को है । अपर कलेक्टर द्वारा इस बात पर भी विचार नहीं किया कि स्थल निरीक्षण के समय सम्बन्धित पक्षकार को मौके पर सूचना दी जाकर उसकी विधिवत नप्ती करने के बाद ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिये था तथा उसकी उपस्थिति में सभी कार्यवाही न करते हुए एकपक्षीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जो कानुनन अवैध है । अपर कलेक्टर क्षरा इस बात पर विचार नहीं किया कि प्रार्थी विक्रम सिंह द्वारा सीमांकन करने के पश्चात अनावेदक क्रं0 1 मांगीलाल द्वारा उक्त सीमांकन को कोई चुनौती नहीं दी गई । इसलिये बन्दोबस्त के बाद कई वर्षों तक आवेदन न प्रस्तुत करना अन्यथा कोई भी कारण न दशार्ते हुये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । इसका विचार न करते हुये अपर कलेक्टर द्वारा आवेदन स्वीकार किया गया। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर देवास एवं अपर आयुक्त उज्जैन द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करते हुए निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि बंदोबस्त के दौरान अनावेदक की भूमि एवं नक्शे की आकृति में कमी होने के कारण उनके द्वारा उपरोक्त त्रुटि की दुरूस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था । क्योंकि बंदोबस्त के पूर्व अनावेदक का सर्वे नं0 150/1 रकबा 2.729 है0 था एवं बंदोबस्त के पश्चात सर्वे नं0 416 कायम किया जाकर रकबा 2.71 है0 कर दिया गया । जबकि मौके पर भूमि पर कब्जा पूर्व बंदोबस्त के अंतर्गत अनावेदक का है । उपरोक्त त्रुटि आवेदक द्वारा कराये गये सीमांकन के दौरान परिलक्षित हुई । जिसके पश्चात आवेदक ने उपरोक्त त्रुटि की दुरूस्ति के लिए म0प्र0 भू0–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 एवं 116 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत किया । तहसीलदार टोंकखुर्द इस संबंध में पटवारी हल्का क्रं0 18 एवं राजस्व निरीक्षक से मौके की जांच करवाई जांच अनुसार उपरोक्त त्रुटि प्रमाणित होने के कारण उन्होंने त्रुटि दुरूस्त करने हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा सहित कलेक्टर को प्रेषित

किया । कलेक्टर द्वारा उपरोक्त प्रतिवेदन की पुष्टि के लिए पुनः अधीक्षक भू–अभिलेख, देवास से जांच कर प्रतिवेदन चाहा गया । अधीक्षक भू–अभिलेख, देवास द्वारा इस संबंध में मौके पर जाकर जांच की गई तथा अपना प्रतिवेदन अपर कलेक्टर को प्रेषित किया । उनके द्वारा भी मौके पर उपरोक्त बंदोबस्त त्रुटि सही पाई तथा त्रुटि दुरूस्त करने के संबंध में अपना अभिमत दिया । अंत में अनावेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क किया की अपर कलेक्टर देवास एवं अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश न्यायासंगत एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा अंतिम तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अनावेदक ने बन्दोबस्त की कार्यवाही से प्रभावित होकर धारा 115–116 के अन्तर्गत त्रुटि सुधार का आवेदन दिया । जिस पर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार/एस0एल0आर0 से प्रतिवेदन लेकर आदेश पारित किया । संहिता की धारा 115–116 केवल संहिता की धारा 114 के अन्तर्गत तैयार भू–अभिलेखों के सम्बन्ध में है । संहिता के अन्तर्गत बन्दोबस्त के दौरान रकबे में त्रुटि का सुधार धारा 89 में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जाना प्रावधानित है तथा नक्शे में सुधार धारा 107 में कलेक्टर द्वारा किया जाना प्रावधानित है । प्रकरण में मूल मुद्दा बन्दोबस्त में रकबे में कमी था, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 89 में निर्णय लिया जाना चाहिए था । एक बार रकबे में भिन्नता पर निर्णय के उपरांत ही कलेक्टर द्वारा धारा 107 में नक्शे में सुधार की कार्यवाही की जा सकती थी । स्पष्ट है कि इस प्रकरण में उक्त वैधानिक स्थिति पर किसी भी अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया तथा संहिता की धारा 115–116 में बन्दोबस्त के दौरान तैयार रिकार्ड में रकबे में परिर्वतन तथा नक्शे में परिवर्तन के आदेश दिये गये है । उक्त कार्यवाही संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । फलतः कलेक्टर का आदेश दिनांक 08–01–2010 तथा अपर आयुक्त आदेश दिनांक 17–02–2012 निरस्त किए जाते है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर